आबंटियों को मालिकाना हक का मसला, कोर्ट से डीएलसी तय हुई तो प्रावधान में हुआ संशोधन, व्यापारी नाराज

कोर्ट जाएंगे मंडी के व्यापारी

स्थापित होने के साथ ही जिन दुकानदारों को दुकानें आबंटित हुई थी उन्हें अब मालिकाना हक या लीज पर दुकानें देने का मसला हल नहीं हो पाया है। इसके बाद जिन लोगों को दुकानें आबंटित हुई उन्हें मंडी की डीएलसी दर से एक चौथाई दर पर दुकानें दी गई। इससे इतर पुराने व्यापारियों की डीएलसी की सौ फीसदी राशि वसूलने का प्रावधान जोड़ दिया गया। इससे पहले मंडी की डीएलसी दर तय नहीं थी। प्रशासन ने मंडी से बाहर की दर लागू कर दुकानें देने का निर्णय लिया तो व्यापारी अड़ गए। बाद में अनुमान के आधार पर वर्ष2007 की जो दर लागू की गई वह वर्ष 2008 की दर से भी ज्यादा थी। व्यापारियों ने इसे पूरी तरह अव्यवहारिक बताया पर सरकार नहीं मानी।ऐसे में न्यायालय के निर्देश पर दुबारा दर तय हो पाई। यह दर तय होने के बाद सरकार ने सौ फीसदी डीएलसी राशि जमा करवाने का आदेश जारी कर दिया।इसे व्यापारिक हितों पर कुठाराघात बताते हुए कच्ची आढ़त संघ के अध्यक्ष मोतीलाल सेठिया का कहना है,

मंडी अध्यक्ष ने माना संशोधन गलत

मंडी समिति के अध्यक्ष सहीराम दुसाद मानते हैं कि डीएलसी दर तय होने के बाद लीज जारी करने का अवसर आया तो प्रावधानों में संशोधन किया गया। यह संशोधन अतार्किक है। इसे हटाने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। मंडी समिति ने अपनी मीटिंग में भी इसका विरोध किया है।

"मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को अपनी बात बता चुके। सभी बड़े अधिकारियों से मिल लिए। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रावधान अव्यवहारिक है। संशोधन का आश्वासन देते हैं। संशोधन नहीं करते, राशि जमा करवाने का नोटिस देते हैं। अब न्यायालय की शरण लेंगे।"

मोतीलाल सेठिया, अध्यक्ष कच्ची आढ़त संघ

अब हक के लिए फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

लालगढ़ यार्ड में पड़े गेहूं को

डिमांड नोटिस को यथावत रखने के आदेश

बीकानेर। व्यापारियों द्वारा कृषि उपज मंडी की दुकानों के मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले की गुरुवार को हुई सुनवाई में व्यापारियों को दिये डिमांड नोटिस को यथावत रखने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय सूत्रों के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से की गई अपील के आधार पर न्यायालय ने सरकार द्वारा व्यापारियों को दिये गये 15 अप्रैल 2013 के डिमांड नोटिस पर रोक लगा दी है। इस नोटिस में व्यापारियों को डीएलसी रेट की सौ फीसदी रकम एक मुश्त जमा करवाने के निर्देश दिये गये थे। जबकि व्यापारियों ने 2005 में मिले नोटिस के आधार पर डीएलसी रेट की पच्चीस फीसदी राशी जमा करवाने की सहमति दी थी। इस डिमांड नोटिस के आधार पर व्यापारियों ने एक किश्त न्यायालय में जमा भी करवा दी। व्यापारियों की ओर से अधिवक्ता लेखराम मेहता व रिमत मेहता ने अपना पक्ष रखा।